Ticket not available

(46)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प इन्दौर म0 प्र0

निगरानी/3297/2018/धार/भू.रा

कमल पिता रामकिशन जाति लोधा आयु 40 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम उमरियाबडा तह0 व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. मनोज पिता भेरूलाल जाति लोधा आयु 32 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम उमरियाबडा तह0 व जिला धार
2. कमल पिता रामकिशन जाति लोधा आयु 40 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम उमरियाबडा तह0 व जिला धार

.....विपक्षीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता अनुसार

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से यह निगरानी अर्ज निचे अनुसार सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय धार जिला धार के न्यायालय मे विपक्षी कमांक–1 की और से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 250 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता के तहत इस आशय का पेश किया कि उसके मालकि स्वत्व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम उमरियाबडा तह0 धार मे सर्वे कमांक 9/2 रकबा 0.186 हे0 की स्थित है इस भूमि का विपक्षी कमांक–1 मनोज के द्वारा सीमांकन करवाया गया और सीमांकन मे रकबा 0.012 हे0 की भूमि निगरानीकर्ता कमल के आधिपत्य मे होना पायी गई उक्त सीमांकन पंचनामे के आधार पर विपक्षी कमांक–1 मनोज की और से आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 250 का प्रस्तुत किया प्रकरण दर्ज किया जाकर निगरानीकर्ता और विपक्षी कमांक–1 को तलब किया गया। प्रकरण मे निगरानीकर्ता अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ एवं अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी कमांक–1 मनोज के द्वारा जो सीमांकन करवाया गया है वह अवैध है सीमांकन पंचनामा प्रतिवेदन दुषित है सीमांकन का कोई सूचना पत्र निगरानीकर्ता को कोई प्राप्त नही हुआ और ना कोई सीमांकन निगरानीकर्ता की उपस्थिति मे किया गया ।

2. यह कि निगरानीकर्ता के मालकि स्वत्व और आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 40 रकबा 0.493हे0 की भूमि उसके बाप दादा के जमाने से होकर वह मालिक नाते काबिज होकर खेती करता, फसल बोता व लेता चला आ रहा है जबकि विपक्षी कमांक–1 मनोज जो कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी रहा है उसके द्वारा सर्वे कमांक 9/2 की भूमि अभी एक से दो वर्ष पूर्व ही खरीदी है जिसके मौके पर कई बंटाकन हुए है सभी सर्वे नंबरो का सीमांकन नही करवाया है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जो धारा 250 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता का जो जवाब प्रस्तुत किया उक्त जवाब के चरण कमांक 4 मे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विपक्षी कमल अर्थात निगरानीकर्ता की और से उसकी भूमि का सीमांकन विधिवत करवाया गया था जो सीमांकन प्रकरण कमांक 50/अ–12/2015–16 पर अंकित होकर सीमांकन प्रकरण मे स्वयं मनोज उपस्थित रहा उसके सीमांकन सूचना पत्र पर हस्ताक्षर है पंचनामा दिनांक 10/6/2016 पर हस्ताक्षर है, यह सीमांकन मनोज के द्वारा करवाये गये सीमांकन के पूर्व का है उक्त समय भी किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा मनोज की भूमि पर निगरानीकर्ता का नही पाया गया, शासकीय तिमडे–चौमडे को आधार मानकर सीमांकन किया गया था।

4. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा जो सीमांकन करवाया था जिसके संबंध मे अपने जवाब मे भी पूर्व के सीमांकन के प्रकरण का उल्लेख किया है विपक्षी मनोज से भी प्रतिपरीक्षण मे सीमांकन के संबंध मे पूछताछ की है गिरधावर से भी निगरानीकर्ता के द्वारा किए गए सीमांकन प्रकरण पंचनामे के संबंध मे प्रतिपरीक्षण किया है। जिस संबंधित सीमांकन का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता का आवेदन सीमांकन सूचना पत्र, सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा एवं अन्य सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ निगरानीकर्ता के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जा0 दी0 के आवेदन के साथ सूची सहित दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत कि गई जिसका जवाब दिया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेज जो कि सीमांकन के प्रकरण से संबंधित थी जिसके संबंध मे निगरानीकर्ता के द्वारा अपने मूल जवाब मे खुलासा किया है अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी मनोज से प्रतिपरीक्षण किया है, गिरधावर से प्रतिपरीक्षण किया है, जो निगरानीकर्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3297/2018/धार/भू.रा. जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	